न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी	:	**शुभम गुप्ता, आर.जे.एस.**
आपराधिक नि.प्र. संख्या	:	179/2017
सीआईएस संख्या	:	179/2017
CNR नंबर	:	RJAJ140003262017

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

हरनाथ पुत्र प्रहलाद, उम्र 27 साल, निवासी शंकर खेड़ा, थाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 4 व 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

उपस्थितिः–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री महावीर गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त.

–––––

:: नि र्ण य :: **दिनांकः 30–03–2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.10.2016 को प्रार्थिया निरमा ने न्यायालय के समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादिया का विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व अभियुक्त संख्या 1 के साथ हिन्दू रीति–रिवाज एवं सप्तपदी के अनुसार बमुकाम बालाजी का प्रान्हेडा, थाना केकड़ी में सम्पन्न हुआ था और विवाह में परिवादिया के परिवारजनों द्वारा अपनी हैसियत अनुसार स्त्रीधन एवं उपहार दिए गए थे तथा विवाह के लगभग एक वर्ष पश्चात सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार उसका गौना भी अभियुक्त संख्या 1 के साथ सम्पन्न किया गया, उस समय भी परिवादिया के माता–पिता एवं परिजनों द्वारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्त्रीधन दिया गया था। गौना के पश्चात परिवादिया अपने ससुराल आने–जाने लगी तथा अभियुक्त संख्या 1 के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। प्रारम्भ में कुछ समय तक उसके साथ सामान्य व्यवहार किया गया, किन्तु बाद में अभियुक्तगण का व्यवहार उसके प्रति परिवर्तित हो गया और वे छोटी–छोटी

बातों पर ताने देते हुए कहने लगे कि उनके लड़के को दहेज में कुछ नहीं दिया गया, साथ ही परिवादिया को अपमानित करते हुए उसके पिता के घर से 1,00,000/– रूपये नकद लाने की मांग करने लगे तथा यह कहकर प्रताड़ित करने लगे कि यदि वह उक्त राशि लेकर नहीं आई तो उसे घर से निकाल देंगे। परिवादिया अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने की भावना से उक्त व्यवहार को सहन करती रही और यह आशा करती रही कि समय के साथ अभियुक्तगण का व्यवहार सुधर जाएगा, किन्तु इसके विपरीत अभियुक्तगण की प्रताड़ना बढ़ती गई तथा अभियुक्त संख्या 1 ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करना प्रारम्भ कर दिया और मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकियां भी दीं। परिवादिया द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी, कि उसके माता–पिता गरीब हैं और उक्त मांग पूरी करने में असमर्थ हैं, अभियुक्तगण अपनी अवैध मांग पर अड़े रहे तथा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। अभियुक्तगण ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात भी करवा दिया। इसके पश्चात लगभग 3–4 माह पूर्व अभियुक्त संख्या 1 ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादिया के साथ मारपीट की, उसका समस्त स्त्रीधन अपने कब्जे में ले लिया तथा उसे मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया और जबरन अपने साथ बिठाकर उसके पीहर ग्राम बालाजी का प्रान्हेडा छोड़ गया, तथा उसके माता–पिता को धमकी दी कि 1,00,000/– रूपये देकर ही उसे वापस भेजना, अन्यथा उसे जान से समाप्त कर दिया जाएगा। परिवादिया के पीहर छोड़ दिए जाने के बाद उसके पिता समाज के व्यक्तियों को साथ लेकर अभियुक्तगण को समझाने ग्राम प्रतापपुरा गए, किन्तु अभियुक्तगण ने उनकी कोई बात नहीं मानी, बल्कि उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें घर से भगा दिया और पुनः यही कहा कि मांग पूरी होने पर ही लड़की को भेजना। परिवादिया लगभग 3–4 माह से अपने माता–पिता के साथ निवास कर रही थी और अभियुक्त संख्या 1 द्वारा उसकी कोई सार–संभाल नहीं की गई। दिनांक 11.10.2016 को अभियुक्त संख्या 1 ग्राम प्रान्हेडा आया और परिवादिया को पुनः धमकी दी कि वह अपने पिता से 1,00,000/– रूपये दहेज स्वरूप लेकर आए, अन्यथा उसके माता–पिता उसका दूसरा विवाह कर देंगे......आदि। उक्त इस्तगासा पर न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना केकड़ी को प्रेषित कर मुकदमा दर्ज कर नतीजा पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर पुलिस थाना केकड़ी

द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त हरनाथ के विरुद्ध धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता धारा 4 व 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 व 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 व 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
पीडब्ल्यू–1	निरमा
पीडब्ल्यू–2	मदन
पीडब्ल्यू–3	बजरंग
पीडबल्यू–3	सीता
पीडब्ल्यू–4	दुर्गालाल
पीडब्ल्यू–7	लालचंद
पीडब्ल्यू–8	रामस्वरूप
पीडब्ल्यू–9	गोपाल
पी.डब्ल्यू–10	मानसिंह चौधरी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	एसपी आफिस भेजी गई रिपोर्ट	प्रदर्श पी–2
3	इस्तगासा	प्रदर्श पी–3
4	मेडिकल इनकारी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–4
5	फर्द बरामदगी	प्रदर्श पी–5
6	स्त्रीधन सूची	प्रदर्श पी–6
7	विवाह संबंधी दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस	प्रदर्श पी–7
8	41 सीआरपीसी का नोटिस	प्रदर्श पी–8
9	चैक लिस्ट	प्रदर्श पी–9
10	फर्द गिरफ्तारी हरनाथ	प्रदर्श पी–10
11	धारा 27 की इत्तला	प्रदर्श पी–11
12	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–12
13	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–13

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1.	–	–

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के साक्ष्य को गलत होना तथा झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं:–

क्या अभियुक्त हरनाथ द्वारा परिवादिया के साथ विवाह के पश्चात् उसका पति रहते हुये समय–समय पर एक लाख रुपये के दहेज की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया व मारपीट की एवं विवाह के समय दिया गया स्त्रीधन मांगने पर भी परिवादिया को नहीं लौटाया?

यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

7. उक्त बिंदु के संबंध में अभियोजन द्वारा पी.ड.–1 के रूप में परिवादिया निरमा को परीक्षित करवाया गया है। परिवादिया/गवाह निरमा द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसका विवाह लगभग 10 साल पूर्व हरनाथ के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद उसका गौना हो गया था। ससुराल में उसे उसका पति हरनाथ, ससुर प्रहलाद, दादी सास रामसुखी, काकी सास, काकी ससुर गणपत सभी परेशान व प्रताड़ित करते थे तथा दहेज में डेढ लाख रूपये लाने को कहते थे। डेढ लाख रूपये की मांग की फिर ननद के विवाह में भात मांगने की मांग की तथा मोटरसाईकिल लाने की मांग की, नहीं लाने पर उसे परेशान करते थे तथा मारपीट करते थे। फिर उसे मारपीट कर धक्के देकर घर से निकाल दिया। गवाह द्वारा एफआईआर प्रदर्श पी–1, एसपी आफिस में दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, इस्तगासा प्रदर्श पी–3 तथा मेडिकल कराने से इनकारी प्रदर्श पी–4 की पुष्टि की गई। इसी क्रम में पी.ड. 2 के तौर पर मदन परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि निरमा उसकी भतीजी है जिसका विवाह 10–11 साल पूर्व हरनाथ के साथ किया था। गवाह द्वारा निरमा से अभियुक्त हरनाथ द्वारा दहेज की मांग करने तथा उसके साथ लड़ाई झगड़े करने के तथ्यों की पुष्टि की गई है तथा यह कथन किया है कि उन्होंने निरमा के ससुराल वालों को समझा बुझा कर एक मोटरसाईकिल दी थी तथा यह भी कथन किया है कि दहेज की मांग को लेकर निरमा के साथ मारपीट करते थे। इसी क्रम में पी.ड. 3 के तौर पर बजरंग परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि निरमा उसकी भतीजी है, जिसका विवाह 11 साल पहले हरनाथ के साथ किया था तथा साल भर बाद निरमा का गौणा कर दिया था। गवाह ने

अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा निरमा के साथ दहेज की मांग करने तथा उसके साथ मारपीट करने के तथ्य की पुष्टि की गई है। गवाह द्वारा यह कथन किया गया है कि निरमा के ननद के विवाह में उन्होंने मायरा भरा और एक गाड़ी भी दी, एक गाड़ी हरनाथ को दी। इसी क्रम में पी.ड. 3 के तौर पर सीता परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में उसकी बेटी निरमा की शादी 18 साल पहले हरनाथ के साथ करने के कथन किए हैं। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया गया है कि शादी के बाद हरनाथ उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगा तथा उसकी बेटी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। इसी क्रम में पी.ड. 4 के तौर पर दुर्गालाल परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में निरमा की शादी करीब 18 साल पहले हरनाथ के साथ करने के कथन किए हैं तथा इस तथ्य की पुष्टि की है हरनाथ उसे दहेज की मांग को लेकर परेशान करता था तथा हरनाथ ने उसकी बहन को तलाक दिए बिना दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसी क्रम में पी.ड. 8 के तौर पर रामस्वरूप परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में निरमा की शादी हरनाथ के साथ होने तथा हरनाथ द्वारा 1,00,000/– रूपये दहेज की मांग करने एवं निरमा के साथ मारपीट करने के कथन की पुष्टि की है।

08. उक्त समस्त गवाहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाहान द्वारा परिवादिया निरमा का विवाह अभियुक्त हरनाथ के साथ किए जाने के कथन किए गए हैं। गवाहान द्वारा यह भी कथन किया गया है कि निरमा से उसका पति अभियुक्त हरनाथ दहेज की मांग करता है तथा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। गवाहान के मुख्य परीक्षण के उक्त कथनों के संबंध में पत्रावली का पुनः अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि परिवादिया/गवाह पी.ड. 1 ने जिरह के दौरान यह कथन किया है कि शादी के बाद वह ससुराल कितने समय रही, उसे पता नहीं है। गवाह ने कथन किया कि उसे उसके ससुराल वालों ने कब तंग व परेशान किया उसकी तारीख, साल, महीना याद नहीं है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 2 मदन तथा गवाह पी.ड. 3 बजरंग ने अपनी जिरह के दौरान यह कथन किया है कि निरमा को उसके ससुराल वालों ने कब तंग व परेशान किया उसका साल, तारीख, महीना याद नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद उक्त सम्पूर्ण सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हालांकि गवाहान द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त हरनाथ द्वारा परिवादिया निरमा से दहेज की मांग

करने तथा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने के कथन किए गए है, परंतु गवाहान द्वारा उक्त मांग तथा प्रताड़ना से संबंधित विवरण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। गवाहान ने अपने समस्त परीक्षण में परिवादिया निरमा के साथ हुई क्रूरता के संबंध में तारीख अथवा स्थान से संबंधित कोई कथन नहीं किए हैं। गवाहान द्वारा अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ किसके समक्ष क्रूरता की गई, इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में दहेज की मांग तथा प्रताड़ना के संबंध में गवाहान के बयान Omnivous होना प्रकट होते हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि Omnivous स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे स्थापित नहीं होता है।

09. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **राजेश चड्डा बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 13 मई,** 2025 का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह पाया है कि –

> "8. At the outset, an act of 'cruelty' for the purpose of Section 498A, corresponds to a willful conduct of such nature, that may cause danger to the life, limb and health of the woman, which is inclusive of the mental and physical health and the harassment caused to her, by coercing her to meet unlawful demands or impossible standards. Further, the demand for dowry in terms of Section 3 and Section 4 of the D.P. Act, 1961 refers to both a direct or indirect manner of demand for dowry made by the husband or his family members. In order to meet the threshold of the offences under Section 498A IPC & Sections 3 & 4 of the D.P. Act, 1961, **the allegations cannot be ambiguous or made in thin air.**
>
> 9. In the present case, the allegations made by the Complainant are vague, omnibus and bereft of any material particulars to substantiate this threshold. **Apart from claiming that Appellant husband harassed her for want of dowry, the Complainant has not given any specific details or described any particular instance of harassment.** The allegations in the FIR, and the depositions of the prosecution witnesses suggest that on multiple occasions, the Complainant wife was ousted from the matrimonial house, and kicked and punched in the presence of her father, PW–2 herein and she was repeatedly tormented with dowry demands, and when she was unable to honor them, the Appellant and her family physically beat her up; **whereas she has not mentioned the time, date, place, or manner in which the alleged harassment occurred.** It is

alleged that the Complainant suffered a miscarriage, as she fell down, when the Appellant and her family who pushed her out of the house; however, no medical document from any medical institution or hospital or nursery was produced to substantiate the allegations.

10. Upon carefully considering the record, we find that apart from the statements of PW–1 and PW–2, there is no evidence to substantiate the allegations of harassment and acts of cruelty within the scope of Section 498A of IPC, and Section 4 of the D.P. Act, 1961. For this reason, we find merit in the submission of the learned Counsel for the Appellant, and are of the considered view that there is no material on record to establish the allegations of hurt or miscarriage, and of hurt and criminal intimidation in terms of Section 323 r/w 34 and Section 506 IPC respectively. The Trial Court has rightly held that evidence of the Complainant is the only strong evidence that she sustained injuries on various parts of her body due to the physical assault by the accused persons, and that there was no medical examination conducted by the Complainant, so as to prove that the miscarriage was a consequence of the physical assault.

14. The term "cruelty" is subject to rather cruel misuse by the parties, and cannot be established simpliciter without specific instances, to say the least. The tendency of roping these sections, without mentioning any specific dates, time or incident, weakens the case of the prosecutions, and casts serious suspicion on the viability of the version of a Complainant. We cannot ignore the missing specifics in a criminal complaint, which is the premise of invoking criminal machinery of the State. Be that as it may, we are informed that the marriage of the Appellant has already been dissolved and the divorce decree has attained finality, hence any further prosecution of the Appellant will only tantamount to an abuse of process of law."

10. इससे अतिरिक्त माननीय त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **अचादुर रहमान बनाम त्रिपुरा राज्य 2015 0 सुप्रीम (त्रि.)** 53 में यह पाया है कि –

"12. After going through the evidences on record, this Court is of considered opinion that the whole conviction is based on omnivous statements of PW–1 and, according to this Court, on **such omnivous statements, an order of conviction cannot be upheld, particularly, when the said evidence is not corroborated by other witnesses."**

11. इसी क्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण में इस्तगासा प्रदर्श पी–3 की पुष्टि की है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज के अभिकथनों के अनुसार इस्तगासा पेश करने की दिनांक 19.10.2016 से तीन–चार महीने पूर्व अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ मारपीट कर उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर मात्र पहने हुए कपड़ों में उसे बाहर निकाल दिया गया था। इसी क्रम में न्यायालय में हुए परीक्षित गवाहान के बयानों का अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड. 2 के बयान 16.02.2018 को लेखबद्ध किए गए थे, जिसमें गवाह ने यह कथन किया है कि निरमा पांच–छ साल से उनके पास प्रनहेड़ा रह रही है तथा यह भी कथन किया कि निरमा को उसके ससुराल वाले पांच–छ साल से लेने नहीं आए। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 बजरंग के बयान दिनांक 16.02.2018 को लेखबद्ध किए गए थे, जिसमें गवाह ने यह कथन किया है कि निरमा को पीहर में रहते हुए चार साल हो गए हैं। गवाह ने यह भी कथन किया कि चार साल में निरमा को उसके ससुराल वाले लेने नहीं आए। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 सीता के बयान दिनांक 08.02.2024 को लेखबद्ध किए गए थे, जिसमें गवाह ने यह कथन किया है कि निरमा अभी उनके पास सात साल से रह रही है, जो गांव में ही रह रही है। उक्त सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जहां एक ओर परिवादिया ने अपने इस्तगासे में क्रूरता से संबंधित घटना उसके ससुराल में वर्ष 2016 में होने के कथन किए हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायालय में हुए परीक्षित गवाहान के बयानों से यह प्रकट होता है कि वर्ष 2016 से पूर्व से ही निरमा अपने पीहर में रह रही है। ऐसी स्थिति में अभियोजन के कथानक पर संदेह उत्पन्न होता है।

12. परिवादिया द्वारा अपने इस्तगासे में यह भी अभिकथन किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती थी तथा अभियुक्त द्वारा परिवादिया के पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात उसकी इच्छा के विरूद्ध करवा दिया, परंतु इस संबंध में परिवादिया द्वारा कोई मेडिकल संबंधी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। जिस कारण अभियोजन का कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

13. इसी क्रम में पत्रावली के पुनः अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड. 4 दुर्गालाल तथा पी.ड. 8 रामस्वरूप ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि क्रूरता से संबंधित घटना के बारे में निरमा उन्हें बताती थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गवाहान क्रूरता की

घटना के चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है, केवल हियरसे साक्षी की श्रेणी में आते हैं। उक्त गवाहान के बयानों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।

14. इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि परिवादिया/गवाह पी.ड. 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि शादी में उसे सामान आदि दिया था तथा यह भी कथन किया है कि उसका सामान भी उसे नहीं दिया, सामान उसने मांगा भी नहीं। बाद में उसने मांगा तो पूरा नहीं दिया। इसी क्रम में गवाह पी.ड. 2 मदन ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि निरमा का स्त्रीधन भी उसको नहीं दिया फिर बाद में कहा कि आधा सामान दिया, जो थाने में दिया था। जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया कि उसे पता नहीं है कि निरमा के ससुराल वालों का गहना निरमा के पास हो, उसने नहीं देखा। इसी क्रम में पी.ड. 3 के तौर पर परीक्षित गवाह बजरंग ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि निरमा को उसका सामान मांगने पर भी नहीं दिया, सामान आधा दिया जो भी पूरा नहीं दिया। गवाह द्वारा फर्द बरामदगी स्त्रीधन प्रदर्श पी–5 की पुष्टि की गई। जिरह के दौरान गवाह ने कथन किया कि निरमा के ससुराल वाले निरमा के केवल पायल ही लाए थे। गवाह ने यह भी कथन किया कि उन्होंने निरमा को जो दहेज का सामान दिया था। वो उन्होंने निरमा के ससुराल वालों से नहीं मांगा। मुकदमे के बाद निरमा ने ही ससुराल वालों से सामान मांगा था। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 सीता ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसकी बेटी का सामान नहीं लौटाया। जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया है कि उन्होंने निरमा को जो सामान उसकी शादी में दिया था, उसके बिल वाउचर नहीं हैं तथा यह सुझाव गलत बताया कि उन्होंने जो शादी में सामान दिया था वह वापस मांग लिया हो। गवाह ने कथन किया कि उनकी बेटी ने भी खुद सामान की मांग नहीं की। गवाह ने कथन किया कि निरमा के ससुराल वालों ने एक जोड़ी पायजेब, कणकती व एक मांदलिया दिया था तथा मुकलावे में कुछ नहीं दिया। निरमा के पास अभी पायजेब व एक मांदिलया है। उसके द्वारा दी हुई तीन बकरी व एक कड़ा हरनाथ के पास है। इसी प्रकार पी.ड. 4 दुर्गालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसकी बहन निरमा का सामान भी नहीं लौटाया तथा जिरह के दौरान यह कथन किया है कि निरमा को विवाह में घरवालों ने क्या दिया था, यह उसे पता नहीं है, क्योंकि उस समय वह तो छोटा था। इसी क्रम में पी.ड. 9 के तौर पर गोपाल

फर्द बरामदगी तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–5 के गवाह के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने जिरह में यह कथन किया है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि कोई बिल वाउचर दिए या नहीं तथा यह कथन किया कि प्रदर्श पी–5 पर यह अंकित नहीं है कि सामान किसके लिए खरीदा गया था। अंत में पी.ड. 10 के तौर पर प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के तौर पर मानसिंह चौधरी परीक्षित हुआ है, जिसने मुलजिम द्वारा दी गई धारा 27 की इत्तला प्रदर्श पी–11 तथा उक्त इत्तला के आधार पर अभियुक्त के कब्जे से पीड़िता का स्त्रीधन प्राप्त कर बनाई गई फर्द प्रदर्श पी–5 की पुष्टि की गई है। जिरह के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया है कि परिवादिया ने अपने स्त्रीधन के समर्थन में बिल पेश नहीं किए हैं।

15. पत्रावली पर मौजूद उक्त सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह पी.ड. 3 सीता ने यह सुझाव गलत बताया है कि शादी में जो सामान दिया था वह उन्होंने वापस मांग लिया हो तथा गवाह पी.ड. 3 बजरंग ने यह कथन किया है कि निरमा ने ससुराल वालों से सामान मुकदमे के बाद मांगा था। उक्त सामाग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यदि निरमा के स्त्रीधन का कोई सामान अभियुक्त के पास न्यस्त था भी तो वह सामान मुकदमा पेश करने से पूर्व परिवादी पक्ष द्वारा उससे नहीं मांगा गया था। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के स्त्रीधन का दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड. 3 सीता ने अपनी जिरह के दौरान यह स्पष्ट कथन किए हैं कि उनके द्वारा शादी में दिए हुए सामान के बिल, वाउचर पेश नहीं किए गए हैं तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 मानसिंह चौधरी ने अपनी जिरह के दौरान यह सुझाव सही बताया है कि परिवादिया ने अपने स्त्रीधन के समर्थन में बिल पेश नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है कि परिवादिया को स्त्रीधन के तौर पर सामान प्राप्त हुआ हो तथा यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि उक्त सामान अभियुक्त के पास हो जो उसके द्वारा लौटाया नहीं गया हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इत्तला प्रदर्श पी–11 के आधार पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी–5 के अनुसार जब्ती होना प्रकट होता है, परंतु जब्त किए गए माल के संबंध में परिवादी पक्ष के किसी भी गवाह से पहचान नहीं करवाई गई है कि उक्त सामान परिवादिया का स्त्रीधन का सामान हो। अतः ऐसी स्थिति में यह सिद्ध

नहीं होता है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–5 के अनुसार जब्त सामान परिवादिया का स्त्रीधन का सामान हो।

16. अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियोजन की कहानी में लेशमात्र भी संदेह उत्पन्न होता है तो उसका सीधा लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त हरनाथ को धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 4 व 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

17. अतः हरनाथ पुत्र प्रहलाद, उम्र 27 साल, निवासी शंकर खेड़ा, थाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 व 6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना (मुताबिक फर्द जब्ती) यदि कोई हो तो नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील निस्तारित किया जावें एवं यदि जब्तशुदा मालखाना सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द किया गया हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझा जावें।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
केकड़ी, जिला–अजमेर

19. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को विवृत न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
केकड़ी, जिला–अजमेर

––––